

RCMS 2018/00060

राज्य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छीपावड़ौद जिला बारां (राजग)

आदेश पत्र सं. 22/18	धारा अंतर्गत 88, 188 RTA	ग्राम बडाप	तहसील छीपावड़ौद
वादी जगन्नाथ	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी दुर्गाशंकर	

वकील :- आशफ अली खान
आदेश पत्रक
 कार्यवाही एवं आदेश
 वकील :-
 विविध संदर्भ

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
19-2-18	कार्यवाही काठी इतर काद फरा क-रगत धारा 88, 188 RTA विरुद्ध जारी गरी गरी के न्यायालय में प्रेषण किया गया। डिपोस्ट करिवा का कवलेकन किया गया। उकरप दुर्ग रखि किया जागे जारी जारी गरी को गरी ललक हलक किया जाकल फगावली दिनांक 3-4-18 को प्रेषण	
3-4-18	फगावली प्रेषण उरी ककील काठी अन जारी जारी गरी की ललकी डेड Ref. Ad का ललकन प्रेषण केरी फगावली काठी ललकी दिनांक 24-5-18 को प्रेषण के	
24-5-18	फगावली राजल लोक कडाकरा फरा कोपके इर केरत डिपेरी पर फरा इर जारी एन अन जारी इर राजल लोक कडाकरा फरा कोपके इर केरत डिपेरी पर डपो होकर जारी फरा उलुन कल किरकन किया कि उकर उकरप से फराकारा के ककर राजीगारा के लुका से उकरप से किली उकरा की ककराई/नरी नाकर ही उकरप बापठ लेग माइसे ही जारी को फरा गारा, फगावली का ककराकन किया गया। जारी का जारी फरा लीकाल किया जाग ही उकरप दुर्ग हलक पर डेड किया जाक ही फगावली फेरी डुगाल डेकल काद ललक रकमीष के डारिड इकराई	दु. जगन्नाथ दुर्गाशंकर ब. 1. 1. 18